



आवास बन्धु

आवास एवं शहरी नियोजन  
विभाग उ०प्र० शासन



प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ

दूरभाष : 0522-2622941, 2627021,

फैक्स: 0522-4331202

E-mail: awasbandhu@gmail.com

website: http://www.awas.up.nic.in

संख्या: 9022/आ.ब.-1-निदेशक /2022

दिनांक : 10 जनवरी, 2023

प्रेषक,

निदेशक,

आवास बन्धु,

उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्  
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,

समस्त विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।

3. अध्यक्ष,

समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,  
उ०प्र०।

**विषय: सम्पत्ति डिफाल्टर्स तथा मानचित्र डिफाल्टर्स की सूचना का आंकलन के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या-8755/आ.ब.-1/निदेशक/2022 दिनांक 18.12.2022 (प्रति संलग्न) का संन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सम्पत्ति डिफाल्टर्स तथा मानचित्र डिफाल्टर्स की सूचना गूगल शीट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु लिंक प्रेषित किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में तद्दिनांक तक 10 अभिकरणों द्वारा मानचित्र डिफाल्टर्स की सूचना एवं कतिपय अभिकरणों द्वारा सम्पत्ति डिफाल्टर्स की सूचना गूगल शीट के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। सम्पत्ति डिफाल्टर्स के सम्बन्ध में हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा सूचना अपलोड किया जाना सूचित किया गया है किन्तु उक्त सूचना गूगल शीट पर उपलब्ध नहीं है एवं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सूचना हार्ड कॉपी में प्रेषित की गयी है।

3. अतः उक्त के दृष्टिगत, आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया संलग्न पत्र दिनांक 18.11.2022 में दिये गये लिंक के माध्यम से सम्पत्ति डिफाल्टर्स तथा मानचित्र डिफाल्टर्स की सूचना गूगल शीट पर शीघ्र अपलोड कराने का कष्ट करें एवं अपलोड की गयी सूचना की हार्ड कॉपी भी प्रेषित करने का कष्ट करें। यदि गूगल शीट पर सूचना अपलोड कराये जाने में कोई कठिनाई आ रही है तो कृपया संलग्न प्रारूप पर सॉफ्ट कॉपी (मंगल फॉन्ट में) एवं हार्ड कॉपी में सूचना शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रमुख सचिव, महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जा सके।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,  
10/01/2023  
(रवि जैन)  
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. उप सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 उ०प्र० शासन लखनऊ।

(रवि जैन)  
निदेशक



आवास बन्धु

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग  
उ०प्र०शासन



प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ  
दूरभाष : 0522-2622941, 2627021,  
फैक्स: 0522-4070567  
E-mail: awasbandhu@gmail.com  
website: http://www.awas.up.nic.in

संख्या: 8755/आ.ब.-1/निदेशक/2022 दिनांक : 18 नवम्बर, 2022

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।
3. अध्यक्ष,  
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

2. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

विषय- सम्पत्ति डिफाल्टर्स तथा मानचित्र डिफाल्टर्स की सूचना का आकलन के सम्बन्ध में।  
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-8235/आ.ब.-1-निदेशक/2022 दिनांक 09.11.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से डिफाल्टर्स को चिन्हित करने हेतु निम्न मानदण्डों पर सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था:-

- 1- ऐसे आवंटी/आवेदक जिनकी सम्पत्ति की किश्ते/धनराशि जमा करने की निर्धारित अवधि समाप्त होगयी है, परन्तु उनके द्वारा सम्पूर्ण किश्ते/धनराशि जमा नहीं की गयी है।
- 2- ऐसे आवंटी/आवेदक जिनके द्वारा पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त सूचित शेड्यूल के अनुरूप कोई भी किश्त/धनराशि जमा नहीं की गयी है।
- 3- बैंकों को लोन की वसूली हेतु डिफाल्टर्स की निम्न परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले आवंटी/आवेदक।

“A borrower becomes a defaulter when there is no repayment of interest or principal component for a period of 90 days”

उक्त मानदण्डों विभिन्न अभिकरणों द्वारा प्रेषित सूचना के सम्बन्ध में दिनांक 17.11.2022 को प्रमुख सचिव, आवास, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न आयोजित बैठक में विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के उपरान्त प्रमुख सचिव महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में डिफाल्टरवार संशोधित सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। इस सम्बन्ध में सम्पत्ति एवं मानचित्र की सूचना गूगल शीट के माध्यम से उपलब्ध करायी जानी है, जिनके लिंक निम्नवत् है:-


सम्पत्ति डिफाल्टर्स-

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sqXL0EvqvVqT036hk05spv5oLq5NgdlKnatlJjnWdqY/edit?usp=sharing>

मानचित्र डिफाल्टर्स-

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gqfVn2fi43wBevP-axyUgfUwbpyWFBvHiYzCPPKPXTY/edit?usp=sharing>

अनुरोध है कि उपर्युक्त लिंक्स का प्रयोग करते हुए विस्तृत सूचना दिनांक 26.11.2022 तक आवास बन्धु ई-मेल awasbandhu@gmail.com पर शेर कराने का कष्ट करें।  
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,  
  
(रवि जैन)  
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र०शासन।
2. अधिशासी निदेशक आवास बन्धु/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
3. उप सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1।

(रवि जैन)  
निदेशक

